सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 113 राँची ,गुरुवार

7 फाल्गुन, 1936 (श०)

26 फरवरी, 2015 (ई०)

परिवहन विभाग

।। संकल्प ।।

17 फरवरी, 2015

विषय: झारखण्ड सरकार एवं रेलवे मंत्रालय भारत सरकार के बीच झारखण्ड राज्य अन्तर्गत निर्माणाधीन छः रेल परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व एम.ओ.यू. (Memorandum of Understanding**) - की वैधता फरवरी**, 2013 **में समाप्त होने के उपरान्त एम.ओ.यू. विस्तारीकरण** (**मार्च**, 2017 **तक**) **की स्वीकृति तथा परियोजनाओं की प्राक्कलित राशि में द्वितीय पुनरीक्षण के फलस्वरूप** 5775.00 **करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं एवं वित्तीय वर्ष** 2014-15 **में राज्य योजना मांग संख्या**-47-**परिवहन विभाग**, **बजट मुख्य शीर्ष** -3075-**अन्य परिवहन सेवाएँ के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे को सहायता अनुदान मद में रू**0 66,18,00,000 (**छियासठ करोड़ अठारह लाख रूपये**) **मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

संख्या-परि0वि0- -88/09/137-- झारखण्ड सरकार एवं रेल मंत्रालय भारत सरकार के बीच झारखण्ड राज्य में छः रेलवे परियोजनाओं के लिए सर्वप्रथम दिनांक 19 **फरवरी,** 2002 **को निम्नानुसार**

कुल 1997.00 करोड़ रूपये की लागत पर झारखण्ड राज्य एवं रेल मंत्रालय की क्रमशः 66.67% तथा 33.33% देनदारी के आधार पर एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था ।

क्र0	परियोजनाओं का नाम	लम्बाई	प्राक्कलित राशि
1.	रांची-बरकाकाना-हजारीबाग-कोडरमा	189 KM	1002.00 CRORE
2.	रांची-लोहरदगा अमान परिवर्तन एवं टोरी तक विस्तार	113 KM	216.00 CRORE
3.	कोडरमा-तिलैया	14 KM	74.00 CRORE
4.	कोडरमा-गिरिडीह	105 KM	351.00 CRORE
5.	देवघर-दुमका	60 KM	200.00 CRORE
6.	दुमका-रामपुरहाट	64 KM	154.00 CRORE
		545 KM	**1997.00 CRORE**

2. परन्तु उक्त अवधि में रेलवे परियोजनाएँ पूर्ण नहीं की जा सकी । जिस कारण इस एम.ओ.यू. की अवधि दिनांक 18 फरवरी, 2007 को समाप्त होने के उपरान्त एम.ओ.यू. विस्तारीकरण हेतु एक प्रारूप तैयार किया गया तथा इस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक 14 फरवरी, 2012 को केन्द्र सरकार के साथ एम.ओ.यू. पर मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया गया । इस एम.ओ.यू. विस्तारीकरण की अवधि फरवरी, 2013 तक थी । इस एम.ओ.यू. विस्तारीकरण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दिनांक 15 मार्च, 2012 की बैठक में की गई । विस्तारीकृत एम.ओ.यू. में विगत वर्षो में निर्माण सामग्रियों की मूल्य वृद्धि होने के फलस्वरूप इन रेल परियोजनाओं की मूल प्राक्कलित राशि को निम्नांकित रूप से संशोधित करते हुए 3771.00 करोड़ रूपये किया गया है ।

क्र0	परियोजनाओं का नाम	लम्बाई	प्राक्कलित राशि
1-	रांची-बरकाकाना-हजारीबाग-कोडरमा	200 KM	1800.00 CRORE
2-	रांची-लोहरदगा अमान परिवर्तन एवं टोरी तक विस्तार	113 KM	456.00 CRORE
3-	कोडरमा-तिलैया	14 KM	133.00 CRORE
4-	कोडरमा-गिरिडीह	105 KM	603.00 CRORE
5-	देवघर-दुमका	60 KM	358.00 CRORE
6-	दुमका-रामपुरहाट	64 KM	421.00 CRORE
		556 KM	**3771.00 CRORE**

3. एम.ओ.यू. विस्तारीकरण में झारखण्ड सरकार द्वारा रेल मंत्रालय, भारत सरकार से निर्माणाधीन इन छः परियोजनाओं के funding pattern को 66.67: 33.33 के स्थान पर 50: 50 किया गया । किन्तु लागत सहभागिता का संशोधित अनुपात इन परियोजनाओं की मूल प्राक्कलित राशि 1997.00 करोड़ रूपये पर लागू लागू नहीं था। 50: 50 का नया funding pattern इन परियोजनाओं के बढे हुए प्राक्कलित राशि अर्थात 3771.00 - 1997.00 = 1774.00 करोड़ रूपये पर लागू हुआ । इस प्रकार 1774.00 करोड़ रूपये का 50 प्रतिशत अर्थात 887.00 करोड़ रूपये की देयता राज्य सरकार की हुई। मूल प्राक्कलित राशि (1997.00 करोड़ रूपये) की 66.33 प्रतिशत की देनदारी के अनुरूप राज्य सरकार की देयता 1332.00 करोड़ रूपये तथा बढ़ी हुई राशि का 50%, 887 करोड़ रूपये अर्थात (1332.00 + 887.00= 2219.00 करोड़ रूपये) के विरूद्ध रेल मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2012-13 तक राज्य सरकार की कुल देनदारी 2219.00 करोड़ रूपये निर्गत किया जा चुका है ।

रेलवे के द्वारा उपलब्ध करायी गई विवरणीनुसार परियोजनावार मार्च, 2014 तक व्यय की स्थिति निम्नवत् है (राशि करोड़ में)

क्र0	परियोजनाओं का नाम	लम्बाई	प्राक्कलित राशि	मार्च,14 तक रेलवे द्वारा व्यय की गई राशि	मार्च, 14 तक राज्य सरकार द्वारा रेलवे को उपलब्ध करायी गई राशि
1.	रांची-बरकाकाना-हजारीबाग-कोडरमा	203 KM	3211.00	763.00	1097.00
2.	रांची-लोहरदगा अमान परिवर्तन एवं टोरी तक विस्तार	113 KM	596.00	174.00	246.00
3.	कोडरमा-तिलैया	14 KM	150.00	27.67	52.33
4.	कोडरमा-गिरिडीह	111KM	927.00	246.50	363.50
5.	देवघर-दुमका	60 KM	400.00	166.67	233.33
6.	दुमका-रामपुरहाट	64 KM	491.00	189.33	240.67
		565KM	**5775.00**	**1567.17**	**2232.83**

4 **परन्तु झारखण्ड राज्य में चलायी जा रही रेल परियोजनाएँ अबतक पूर्ण नहीं होने के कारण एम.ओ.यू. की अवधि समाप्त होने के उपरान्त, अवधि विस्तारित करने हेतु रेलवे मंत्रालय द्वारा नया एम.ओ.यू. प्रारूप समर्पित किया गया है तथा परियोजनाओं को मार्च, 2017 तक पूर्ण करने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रस्तावित एम.ओ.यू. विस्तारीकरण प्रारूप के अनुसार रेल परियोंजनाओं की प्राक्कलित राशि निम्नरूपेण पुनरीक्षित की गई है:-**

क्र0	परियोजनाओं का नाम	लम्बाई	प्राक्कलित राशि
1.	रांची-बरकाकाना-हजारीबाग-कोडरमा	203 KM	3211.00 CRORE
2.	रांची-लोहरदगा अमान परिवर्तन एवं टोरी तक विस्तार	113 KM	596.00 CRORE

3-	**कोडरमा-तिलैया**	14 KM	150.00 CRORE
4-	**कोडरमा-गिरिडीह**	111 KM	927.00 CRORE
5-	**देवघर-दुमका**	60 KM	400.00 CRORE
6-	**दुमका-रामपुरहाट**	64 KM	491.00 CRORE
		556 KM	**5775.00 CRORE**

निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 50: 50 **का नया funding pattern इन परियोजनाओं के बढे हु ए प्राक्कलित राशि अर्थात** 5775.00-1997.00 = 3778.00 **करोड़ रूपये पर लागू होगा। होगा। इस प्रकार** 3778.00 **करोड़ रूपये का** 50 **प्रतिशत अर्थात** 1889.00 **करोड़ रूपये की देयता राज्य सरकार की होगी । इस प्रकार राज्य सरकार की देयता मूल प्राक्कलित राशि** (1997.00 **करोड़ रूपये**) **का** 66.33 66.33 **प्रतिशत** 1332.00 **करोड़ रूपये एवं वर्तमान पुनरीक्षित दर का** 50 **प्रतिशत** 1889.00 (1332.00+1889.00)=3221.00 **करोड़ रूपये होगी राज्य सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को अबतक** 2219.00 **करोड़ रूपये निर्गत किया जा चुका है, अतएव राज्य सरकार की कुल शेष देनदारी** (3221.00-2219.00)= 1002.00 **करोड़ रूपये होगी। इस प्रकार एम.ओ.यू. विस्तारीकरण पर निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की देनदारी कुल** 1002.00 **करोड़ रूपये की होगी ।**

5. **यह भी निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित छः रेल परियोजनाएँ का एम.ओ.यू. विस्तारीकरण की अंतिम तिथि मार्च** 2017 **तक पूर्ण कर लिया जाय । भू-अर्जन में होने वाले विलम्ब के लिए लिए उपायुक्त पूर्ण रूप से जवाबदेय होंगे, इस कार्य की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव स्तर पर टास्क फोर्स का गठन होगा ।**

6. **झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित छः रेल परियोजनाएँ का एम.ओ.यू. मार्च**, 2017 **तक विस्तारीकरण एवं विस्तारीकरण के पश्चात् बढ़ोत्तरी की राशि का** 50 **प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में रेलवे को निर्गत की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं रेलवे द्वारा उक्त अवधि में निर्गत राशि का विवरण उपलब्ध उपलब्ध कराने के पश्चात् राशि विमुक्त की जाएगी ।**

7. **एम.ओ.यू. विस्तारीकरण के फलस्वरूप बढ़ोत्तरी राशि में झारखण्ड सरकार को देयता की राशि** 1002.00 **करोड़ रूपये बजट शीर्ष -मांग संख्या**-47-**परिवहन विभाग, मुख्य शीर्ष** -3075-**अन्य परिवहन सेवाएँ-उप-मुख्य शीर्ष**-60-**अन्य-लघु शीर्ष**-101-**लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता-उप शीर्ष**-01-**झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे का सहायता अनुदान**

(केन्द्रांश-1: राज्यांश-2)-विस्तृत शीर्ष -06-अनुदान-78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान अन्तर्गत उपबंधित 26.18 करोड़ रूपये तथा लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-01-झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे को सहायता अनुदान (केन्द्रांश-1: राज्यांश-2)-2)-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-78 पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित 40.00 करोड़ करोड़ रूपये अर्थात वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित कुल राशि 66.18 करोड़ रूपये एवं अन्य शेष राशि अगामी वर्षो में उक्त शीर्ष में बजट उपबंध की राशि से क्किलनीय होगा ।

8. रेलवे द्वारा योजना को पूरा करने के संदर्भ में उल्लेखित समस्याओं यथा-भू-अर्जन में विलम्ब, विधि व्यवस्था व्यवस्था का संधारण आदि से परिवहन विभाग सहमत है। तदनुसार मार्च, 2017 तक एम.ओ.यू. विस्तारीकरण के पश्चात् अगर रेलवे द्वारा उल्लेखित समस्याओं को राज्य सरकार द्वारा दुरूस्त करने पर योजना ससमय पूरा नहीं होने की स्थिति पर भविष्य में रेल परियोजना के लागत के बढ़ोत्तरी में राज्य सरकार की देनदारी नहीं होने का विकल्प खुला रहेगा ।

9. झारखण्ड सरकार एवं रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के बीच झारखण्ड राज्य अन्तर्गत निर्माणाधीन छः रेल परियोजनाओं के निर्माण हेतु पूर्व एम.ओ.यू. (Memorandum of Understanding) की वैधता (मान्य अवधि फरवरी, 2013 तक) समाप्त होने के उपरान्त एम.ओ.यू. का विस्तारण मार्च 2017 तक के लिए अवधि विस्तार विस्तार की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को सम्पन्न बैठक में प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./-(अस्पष्ट)

सरकार के सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 113– 50+200 ।